

#### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 1039]** No. 1039] नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016 ⁄ वैशाख 12, 1938

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/VAISAKHA 12, 1938

### शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 29 अप्रैल. 2016

का.आ.1596(अ).— यत: दिल्ली मुख्य योजना – 2021 में केन्द्र सरकार का जिन कितपय संशोधन करने का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2015 की सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 2071(अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित पूछताछ और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में भी अनुमोदित किया गया।
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-**2021** में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- **4.** अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा **11-**क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-**2021** में निम्नलिखित संशोधन करती है:

### संशोधनः

	दि.मु.यो2021							
	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन						
अ	अध्याय 4.0 आश्रय व्यवस्था (शैल्टर)							
4.	4.4.3. आवासीय परिसरों के अंदर भवन/भवनों के लिए नियंत्रण							

2133 GI/2016 (1)

च.रैन बसैरा	
न्यूनतम प्लाट आकार 1000 वर्ग मीटर अधिकतम	न्यूनतम प्लाट आकार 100 वर्ग मीटर अधिकतम ग्रांउड
ग्रांउड कवरेज 30 प्रतिशत	कवरेज 60 प्रतिशत
अधिकतम एफ.ए.आर. 120	अधिकतम एफ.ए.आर. 200
अधिकतम ऊंचाई 26 मीटर	अधिकतम ऊंचाई 26 मीटर
	पार्किंग
	(i) 500 वर्ग मीटर से कम माप वाले प्लॉटों के लिए शून्य
	(॥) 500 वर्ग मीटर और इससे अधिक माप वाले प्लॉटों के लिए 2
	कारों/सेवा वाहनों

अध्याय	अध्याय 13.0 स- सामाजिक आधारिक संरचना								
तालिका 13.18:अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए योजना मापदंड									
क्र.सं.	श्रेणी प्लॉटकाक्षैत्र क्र.सं. श्रेणी प्लॉटकाक्षेत्र								
1.	1. (च) रैन बसेरा भूमि की उपलब्धता 1. च) रैन बसेरा भूमि की उपलब्धता के								
		के अध्यधीन न्यूनतम			अध्यधीन न्यूनतम				
	1000 वर्ग मी.								

13.19: अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए विकास नियंत्रण							
क्र सं	श्रेणी		क्र सं	श्रेणी			
1.	ओल्ड ऐज होम / शारीरिक /		1.	ओल्ड ऐज होम / शारीरिक /मानसिक			
	मानसिक रूप से विकलांग			रूप से विकलांग लोगों के लिए			
	लोगों के लिए देखभाल			देखभाल केन्द्र/नौकरीपेशा महिलाओं /			
	केन्द्र/नौकरीपेशा महिलाओं /			पुरूषों के होस्टल /प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र/			
	पुरूषों के होस्टल /प्रौढ़			अनाथालय /बाल केन्द्र			
	शिक्षा केन्द्र/ अनाथालय /						
	बाल केन्द्र/रैन बसेरे						

तार्ग	तालिका 13.19:अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए विकास नियंत्रण							
क्र.सं.	श्रेणी	अधिकतम			अन्य नियंत्रण			
		भूमि कवरेज	एफ.ए. आर. ऊंचा					
5	रैन	60	200	26 मीटर	पार्किंग			
	बसेरा	प्रतिशत			<b>(i)</b> 500 वर्ग मीटर से कम माप वाले प्लॉटों			
					के लिए शून्य			
					(ii) 500 वर्ग मीटर और इससे अधिक माप			
					वाले प्लॉटों के लिए 2 कारों/सेवा			
					वाहनों			

[फा. सं. के – 12011/6/ 2016 डी.डी.-I] सुनील कुमार**,** अवर सचिव

### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

### (Delhi Division)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 29<sup>th</sup> April, 2016

**S.O.1596(E).**—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2071(E) dated 30<sup>th</sup> July, 2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

- 2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.
- 3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

### **MODIFICATIONS:**

		17	MPD 2021			
	Exis	sting Provisions			Amendm	ents/Modifications
Chapte	r 4.0-Shelter					
4.4.3 Co	ontrol for Buil	ding/Buildings within Residenti	ial Premise	S		
	t Shelter					
Min. Plo		1000 sqm.		lot Size		l <b>00</b> sqm.
	round Coverage		Max. Ground Coverage 60%			
Max. FA		120	Max. F			200
Max. He	eight	26m	Max. H	Height	2	26m
			Park	ing:		NIL, for plots ng less than 500 sqm.
					()	2 cars/service for plots measuring
Chanta	r 13 A Social I	nfractructura			500 sqm	and above.
13.18: P	r 13.0-Social In Planning Norm Category	nfrastructure ns and Standards for Other Con Plot Area	SL.	Categ		and above.  Plot Area
13.18: P SL. No. 1.	Category  (f) Night	Plot Area Minimum 1000 sqm,		Catego (f)Nigl	ory	Plot Area  Minimum 100 sqm,
SL. No.	Category  (f) Night shelter	Plot Area  Minimum 1000 sqm, subject to availability of land.	SL. No.	Catego	ory	Plot Area
SL. No. 1.	Category  (f) Night shelter  Development C	Plot Area  Minimum 1000 sqm, subject to availability of	SL. No. 1.	Catego (f)Nigl shelter	ory ht	Plot Area  Minimum 100 sqm, subject to availability of land.
13.18: P SL. No. 1.	Category  (f) Night shelter  Development C  Category	Plot Area  Minimum 1000 sqm, subject to availability of land.	SL. No. 1. Facilities	Catego (f)Nigl	ory	Plot Area  Minimum 100 sqm, subject to availability of land.

**Table 13.19: Development Control for Other Community Facilities** 

Sl.	Category	Maximum			Other controls	
No.		Ground Coverage	FAR	Height		
5.	Night Shelter	60%	200	26m	Parking:  (i) NIL, for plots measuring less than 500 sqm.  (ii) 2 cars/service vehicles, for plots measuring 500 sqm and above.	

[F.No. K-12011/6/2016-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.